कार्यालय :– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना, जिला डीडवाना–कुचामन।

क्रमांक – स्था./2026/10 दिनांक – 30 जनवरी, 2026

**– कार्यालय आदेश –**

मैं **महावीर सिंह चारण, आर.जे.एस.,** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना, जिला डीडवाना–कुचामन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 13(2) का प्रयोग करते हुये वर्ष 2026 के माह **फरवरी** में आने वाले राजकीय अवकाशों हेतु डीडवाना न्यायक्षेत्र के लिए आवश्यक फौजदारी कार्य रिमाण्ड, जमानत व अन्य आवश्यक कार्य/मृत्युकालिक कथन/196 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (176 दण्ड प्रक्रिया संहिता) की कार्यवाही हेतु रिमाण्ड ड्यूटी के लिए निम्नलिखित तारीखों को उनके सामने अंकित मजिस्ट्रेट को अधिकृत करता हूं–

| क्रमांक | दिनांक | मजिस्ट्रेट का नाम व पदनाम |
|---|---|---|
| 1 | 01.02.2026 (रविवार) | **सुश्री पूनम योगी,**<br>सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, मकराना। |
| 2 | 08.02.2026 (रविवार) | **श्री रामपाल,**<br>अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, परबतसर। |
| 3 | 14.02.2026(द्वितीय शनिवार)<br>15.02.2026 (रविवार) | **श्रीमती मनोरमा मीणा,**<br>**अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लाडनूं।** |
| 4 | 22.02.2026 (रविवार) | **श्री रामपाल,**<br>अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, परबतसर। |
| 5 | 28.02.2026 (चतुर्थ शनिवार) | **श्री रूपेन्द्र चौहान,**<br>अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मकराना। |

**नोट :–**

1. उक्त राजपत्रित अवकाशों के अलावा अन्य कोई राजकीय, आकस्मिक, स्थानीय अवकाश घोषित हो जाने पर उक्त घोषित अवकाश से पूर्व के राजकीय अवकाश के दिन जिस अधिकारी द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित की गई है, उसी अधिकारी द्वारा उक्त घोषित राजकीय अवकाश के दिन रिमाण्ड ड्यूटी का कार्य सम्पादित किया जावेगा।
2. **संबंधित राजपत्रित अवकाश के दिवस के लिए रिमाण्ड ड्युटी हेतु अधिकृत अधिकारी द्वारा अवकाश पर रहने/मुख्यालय छोडने की स्वीकृति/अनुमति चाहे जाने की स्थिति में वह अपने स्थान पर कार्य करने हेतु अन्य अधिकारी का सहमति पत्र इस कार्यालय मे प्रेषित करने पर ही उनके प्रार्थना पत्र पर विचार किया जावेगा एवं अन्य अधिकारी की रिमाण्ड ड्यूटी लगाए जाने का आदेश प्राप्त होने के पश्चात ही अवकाश पर प्रस्थान करें/मुख्यालय परित्याग करेंगे।**
3. तारांकित अवकाश के दिन जिस न्यायिक अधिकारी की रिमाण्ड ड्यूटी लगाई गई है वही न्यायिक अधिकारी तारांकित अवकाश के परिवर्तित होने पर रिमाण्ड ड्यूटी करेगा।
4. अवकाश के दौरान प्रस्तुत प्रथम सूचना रिपोर्ट, रिमांड कागजात एवं अन्य प्राप्त दस्तावेजात आवश्यक रूप से अविलम्ब संबंधित न्यायालय को प्रेषित करें।
5. न्यायिक अधिकारीगण की रिमाण्ड ड्यूटी आगामी माह हेतु लगाई गई है, वे आदेशानुसार अपनी ड्यूटी का निर्वहन करेंगे एवं उक्त रिमाण्ड ड्यूटी के आदेश में परिवर्तन हेतु अनावश्यक पत्र व्यवहार एवं संवाद नहीं करेंगे।

MAHAVEER SINGH CHARAN

CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE
Digitally signed by MAHAVEER SINGH CHARAN
Location: CJM COURT, DIDWANA
Date: 2026.01.30 10:20:02 +0530

क्रमांक – 57-66 दिनांक – 30 जनवरी, 2026

**प्रतिलिपि : – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –**

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, डीडवाना।
2. श्रीमान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय – डीडवाना /लाडनूं /कुचामन /मकराना/परबतसर संख्या 01 व 02
3. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट – डीडवाना/लाडनूं/कुचामन/मकराना/परबतसर /नावां।
4. न्यायिक मजिस्ट्रेट – डीडवाना/मकराना।
5. जिला पुलिस अधीक्षक, डीडवाना, समस्त वृताधिकारियों व थानाधिकारियों को सूचित करने बाबत।
6. सहायक निदेशक अभियोजन, नागौर।
7. समस्त बार संघ अध्यक्ष, जिला डीडवाना–कुचामन।
8. जिला आबकारी अधिकारी, डीडवाना सभी आबकारी थानों को सूचित करने बाबत्।
9. प्रभारी अधिकारी जिला उपकारागृह, डीडवाना।
10. सिस्टम ऑफिसर, ऑफिशियल वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

MAHAVEER SINGH CHARAN

CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE
Digitally signed by MAHAVEER SINGH CHARAN
Location: CJM COURT, DIDWANA
Date: 2026.01.30 10:20:11 +0530